अनुस्मरण पत्र
मा0 एन0जी0टी0 के आदेश/तत्काल
संख्या–1018 (1)/आठ–8–2023–यू.ओ. 01/2021

प्रेषक,

किशलय सिंह,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास
प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 लखनऊ : दिनांकः 20 जुलाई, 2023

विषय :–भू–उपयोग के विरूद्व अवैध निर्माण/भवनों को प्रदत्त सुविधा की रोकथाम हेतु विद्यमान नियमों के संबंध में कार्यवाही किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–139(1)/आठ–8–2021–यू0ओ0–01/2021 दिनांक 02.02.2021(प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके संबंध में वांछित सूचना शासन में अभी तक अप्राप्त है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 02.12.2020 में लिये गये निर्णय के अनुपालन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उत्तर प्रदेश प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराते हुए शासन को भी अनिवार्य रूप से ई–मेल आई0डी0 (awas8.sahari@gmail.com) पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

(किशलय सिंह)
अनुसचिव।

Kamp&R-NO.-vividh-UO

Email

मा0 एन0जी0टी0 के आदेश/तत्काल
संख्या– 139(1)/आठ–8–2021–यू.ओ.01/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार मौर्य,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

3. **समस्त नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी,**
विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 **लखनऊ : दिनांक: 02, फरवरी 2021**

विषय :–भू–उपयोग के विरूद्व अवैध निर्माण/भवनों को प्रदत्त सुविधा की रोकथाम हेतु विद्यमान नियमों के संबंध में कार्यवाही किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र दिनांक 20.11.2020 एवं 04.12.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वादों में जारी निर्देशों के अनुपालन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 02.12.2020 की कार्यवृत्त (प्रति संलग्न) की बिन्दु संख्या–6 में निर्णय लिया गया है कि सम्बन्धित प्रकरण में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, विधि स्थापित व्यवस्था का पालन करते हुए अनाधिकृत रूप से किये गये निर्माण का ध्वस्तीकरण करते हुए मास्टर प्लान के अनुसार हरित पट्टिका हेतु भूमि को रिक्त कराते हुए हरित पट्टिका को विकसित किया जाय। इसी प्रकार प्रदेश के अन्य जनपदों/प्राधिकरणों में भी तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव महोदय की उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उत्तर प्रदेश प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराते हुए शासन को भी अनिवार्य रूप से ई–मेल आई0डी0 (awas8.sahari@gmail.com) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,
02.02.21
(मनोज कुमार मौर्य)
उप सचिव।

संख्या : /आठ–8–2021–यू.ओ.01/2021–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अनु सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7 को उनके पत्र संख्या–एन0 जी0टी0–566/81–7–2020 दिनांक 26.10.2020 के क्रम में।
2. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड लखनऊ।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार मौर्य)
उप सचिव।

Kamp&R-NO.-vividh-UO